	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 19, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 10, 2020 *Bhadra 19, Thursday, Saka 1942–September 10, 2020*	

भाग-6(ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 08, 2020

संख्या प.12(2)नविवि/2020:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि नगर सुधार न्यास श्रीगंगानगर के विनिश्चय के क्रम में नीचे विनिर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए "फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ" योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। भूमि की सीमाऐं व क्षेत्रफल निम्न प्रकार से हैः-

ग्राम- चक 4ए छोटी मुरब्बा संख्या 16, 17, 20, 21, 29 व 30 कुल 150 बीघा भूमि का विस्तार/ विशिष्टियां

उत्तर:- मुरब्बा नम्बर 16 के पश्चिमी-उत्तरी कौने से मुरब्बा लाईन के साथ-साथ पूर्व की तरफ चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 17 के पूर्वी-उत्तरी कौने तक।

दक्षिण:- मुरब्बा नम्बर 29 के पश्चिमी-दक्षिणी कौने से पूर्व की तरफ मुरब्बा लाईन के साथ-साथ पूर्व की तरफ चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 30 के पूर्वी-दक्षिणी कौने तक।

पूर्व:- मुरब्बा नम्बर 17 के पूर्वी-उत्तरी कौने से मुरब्बा लाईन के साथ दक्षिण की तरफ चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 30 के पूर्वी-दक्षिणी कौने तक।

पश्चिम:- मुरब्बा नम्बर 16 के उत्तरी-पश्चिमी कौने से साहूवाला रोड़/मुरब्बा लाईन के साथ-साथ दक्षिण को चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 29 के पश्चिमी-दक्षिणी कौने तक।

उक्त योजना का कुल क्षेत्रफल 150 बीघा है, उपरोक्त योजना का विस्तृत विवरण तथा उसका मानचित्र जन साधारण द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है। यह योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से
त्रिभुवनपति,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।